



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1949 /12-1

देहरादून, दिनांक : 27 नवम्बर, 2020.

सेवा में,

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/Road/37612/2018)

संदर्भ : नोडल कार्यालय की ई०डी०एस० दिनांक 18-11-2020.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भण के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का इस कार्यालय स्तर पर निराकरण कर दिया गया है। जिसका प्रत्युत्तर निम्न प्रकार दर्शित है :

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Upload the new SIR of DFO in Part-II, by mentioning the comment in para 5.3 and also mentioned both area reserve as well as civil soyam (as in the upload SIR total area is mentioned as Reserved.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल के पार्ट-॥ में पूर्व में अपलोड की गयी SIR को हटाने का कोई विकल्प इस कार्यालय को आवंटित लॉगिन में उपलब्ध न होने के कारण उक्त SIR यथावत है, फलस्वरूप इसके स्थान पर संशोधित SIR अपलोड कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण संशोधित स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) (प्रति संलग्न) (आरक्षित भूमि, सिविल भूमि व वृक्षों के विवरण को अंकित करते हुए) परिवेश पोर्टल के पार्ट-॥ में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड की गयी है।
2	Upload the affected tree list as per the detail and unit mentioned in the Part-II, Para-4 (ii).	सम्बन्धित आपत्ति के क्रम में अवगतनीय है कि परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष (प्रति संलग्न) बाधित हैं, जिनका निस्तारण किया जाना है। उक्त वृक्षों के यथाअपेक्षित विवरण को परिवेश पोर्टल के पार्ट-॥ के कॉलम-4(II) में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त वृक्षों की सूचनायुक्त हार्डकॉपी पी०डी०एफ० फॉरमेट में परिवेश पोर्टल के भाग-॥ में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
3	Remove the discrepancy still the no. of tree affected in forest land mentioned in CF SIR is 389 while in Part-II-4(ii) is 390.	उक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण को संशोधित करते हुए तदसम्बन्धित सूचना को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1949 (1)/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड लो०नि०वि०, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

SITE INSPECTION REPORT (NOT BELOW THE RANK OF DCF)
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1- A proposal has been received by this office from- अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून (under FCA -1980) of- **2.013 ha. forest land and 1.225 ha. Civil Soyam Land** of forest land for non- forestry purpose. The projects envisage the use of forest land for जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मार्ग के नव निर्माण हेतु कुल 3.238 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण :

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated- **29.08.2020**.

5.2- On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest land **2.013 ha. & Civil Soyam Land 1.225 ha.** Yes

आरक्षित वन भूमि :

2.013

सिविल सोयम भूमि :

1.225

हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि :

3.238

इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

5.3- The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.-2 part- 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

5.4- Weather any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.- Nill

5.5- Weather any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.- Nill

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.- (✓)

(a) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.- (X)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Project is recommended for acceptance. **Recommended in public interest.**

Place:- Dehradun

Date:-29.08.2020

Name: Rajiv Dhiman

Designation- DCF कारी

Dehradun वन प्रभाग,

देहरादून

सनगांव से नाही कला तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य में आने वाले बाधित वृक्षों की सूची। (11 कि०मी०)

नाहीं कक्ष सं०-2

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई									योग
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9 over	
											37
1	कोकाट	30	5	1	1	-	-	-	-	-	3
2	अमलतास	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	बांकली	1	-	2	1	-	-	-	-	-	5
4	रोहणी	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	सेन	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	बहेडा	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	योग	39	5	3	4	0	0	0	0	0	51

नाहीं कक्ष सं०-03

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई									योग
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9 over	
											50
1	कोकाट	34	14	2	-	-	-	-	-	-	13
2	रोहणी	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	अमलतास	2	1	-	-	-	-	-	-	-	9
4	भीमल	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1
5	सेमल	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
6	बांज	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	जामुन	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14
8	सेमला	12	-	2	-	-	-	-	-	-	94
	योग	72	18	4	0	0	0	0	0	0	94

नाहीं कक्ष सं०-4

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई									योग
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9 over	
											8
1	रोहणी	6	2	-	-	-	-	-	-	-	36
2	कोकाट	20	5	9	1	1	-	-	-	-	1
3	जामुन	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
4	बांज	4	3	3	1	-	-	-	-	-	1
5	आंवला	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	तुन	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8
7	सेमला	3	4	1	-	-	-	-	-	-	8
	योग	33	14	14	2	1	2	0	0	0	66

ग्राम समाज

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई									योग
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9 over	
1	बकैन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	बांज	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
3	कोकाट	26	21	12	-	-	-	-	-	-	59
4	कचनार	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5	भीमल	23	8	2	1	-	-	-	-	-	34
6	आंवाल	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	जामुन	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	अमलतास	7	3	1	-	-	-	-	-	-	11
9	सेमल	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
10	रोहणी	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
11	बांकली	13	10	-	2	-	-	-	-	-	25
12	बहेडा	3	6	3	-	-	-	-	-	-	12
13	हल्दू	7	5	1	-	-	-	-	-	-	13
14	सेमला	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
15	कन्जु	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	योग	96	61	19	3	0	0	0	0	0	179

नाप खेत

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई									योग
		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9 over	
1	सेमला	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	कोकाट	29	7	2	1	-	2	-	-	-	41
3	भीमल	36	8	3	1	-	-	-	-	-	48
4	सेमला	10	5	-	-	-	-	-	-	-	15
5	रोहणी	8	1	-	-	-	-	-	-	-	9
6	बहेडा	1	-	4	-	-	-	-	-	-	5
7	सैन	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	खडीक	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
9	गुरियाल	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
10	जामुन	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	कचनार	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	योग	97	23	10	2	0	2	0	0	0	134

Total

524

वन क्षेत्राधिकारी

(Handwritten signatures and notes)

पी0के0 पात्रो, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के दिनांक 24.01.2020 के दौरे की
निरीक्षण टिप्पणी (संशोधित)

दिनांक 24.01.2020 को अघोहस्ताक्षरी द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.238 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधी प्रस्ताव में बाधित बांज वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग नवनिर्माण हेतु देहरादून वन प्रभाग के धानो रेज के अन्तर्गत नाही कक्ष सं०-3 व 4 में निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

राजि	प्रजाति	भूमि का प्रकार	परिवार विवरण						कुल वृक्षों की संख्या
			0-30 से०मी०	31-60 से०मी०	61-90 से०मी०	91-120 से०मी०	121-150 से०मी०	(>150) से०मी०	
धानों राजि	बांज	आरक्षित/सि०सो० वन भूमि	0	6	6	3	1	0	16
योग			0	6	6	3	1	0	16
धानों राजि	अन्य प्रजाति	आरक्षित/सि०सो० वन भूमि	160	128	68	10	6	2	374
योग			160	128	68	10	6	2	374
कुल योग			160	134	74	13	7	2	390

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2020 के आधार पर प्रस्तावित भूमि पर बाधित वृक्षों की संख्या 389 के स्थान पर उक्तानुसार 390 वृक्ष, संशोधित समझी जाय।

(पी०के० पात्रो)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: sjshivalik@yahoo.com



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 989 / 12-1 दिनांक, देहरादून, 13 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड पीडी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, ऋषिकेश।

(पी०के० पात्रो)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।